सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

## NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1127/MP/4/2023-APCR    दिनांक: 11/05/2023

**श्री मनोज कुमार सिंह**
पुलिस अधीक्षक
जिला - धार,
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय,
प्रकाश नगर, धार,
मध्य प्रदेश 454001
Email Id: spodha@mp.gov.in

**विषय: शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत दिनांक 02.11.2022 को राजनैतिक दबाव में पुलिस थाना नौगाँव, जिला धार द्वारा बदल दिये जाने एवं निष्पक्ष जाँच नहीं करने एवं दबाव डालकर एफ.आई.आर. क्रमांक 514/2022 पर पुलिस द्वारा हस्ताक्षर करवा लेने के संबंध में- श्रीमति गायत्रीभूरिया, जिला - धार, मध्य प्रदेश अभ्यावेदन।**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्रीमति गायत्री भूरिया से दिनांक 29/03/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** भी जारी कर सकता है ।

अंकित

(अंकित कुमार सेन )
अनुसंधान अधिकारी
दूरभाष सं.:24645826
ई-मेल: researchofficer-apcr@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्रीमति गायत्री भूरिया
निवासी - कोर्ट के पीछे, हाथीथान,
जिला - धार, मध्य प्रदेश - 454001

NIC – NCST

# लिखित शिकायती आवेदन/प्रतिवेदन

(रजिस्टर्ड ए.डी./ई–मेल द्वारा)

श्रीमान्, 06.03.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय,

जिला धार (मध्यप्रदेश)

विषय : शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत दिनांक 02.11.2022 को राजनैतिक दबाव में पुलिस थाना नौगाँव, जिला धार द्वारा बदल दिये जाने एवं निष्पक्ष जाँच नहीं करने और मुझ आदिवासी महिला पर दबाव डालकर एफ.आई.आर. क्रमांक 514/2022 पर पुलिस द्वारा हस्ताक्षर करवा लेने के संबंध में।

महोदय,

मैं शिकायतकर्ता, **गायत्री भूरिया पति गणेश भूरिया**, जाति : भील, आयु : 28 वर्ष, निवासी : कोर्ट के पीछे, हाथीथान, धार, यह निवेदन करती हूँ कि मेरे साथ कॉंग्रेस की महिला नेता प्रतिमा मुद्‌गल, जाति ब्राह्मण, निवासी : पुराने पी.डब्लू.डी. ऑफिस के पीछे, विधायक बंगला, नौगाँव, धार द्वारा मेरे नीची जाति का होनें के कारण मेरा शारीरिक शोषण कर मेरे साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक यौन क्रिया करने, जाति सूचक गालियाँ देने, मेरा नीची जाति का होनें से और सबके सामने मेरा अपमान करने की नीयत से मादरचोद, बहनचोद की नंगी–नंगी गालियाँ देकर मुझे जान से मारने की धमकी देनें के संबंध में मेरे द्वारा संपूर्ण घटना का उल्लेख करते हुए एक शिकायत प्रतिमा मुद्‌गल के विरूद्ध दिनांक 02.11.2022 को पुलिस थाना नौगाँव, धार में लिखित में दी थी और उसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति भी ली थी, किन्तु पुलिस द्वारा प्रतिमा मुद्‌गल के राजनैतिक दबाव में मेरी मूल शिकायत को बदलकर अलग शिकायत एफ.आई.आर. लिख दी और मुझ पर दबाव डालकर उस पर मेरे हस्ताक्षर करवा लिए।

पुलिस थाना नौगाँव, धार द्वारा प्रेषित सूचना पत्र दिनांक 02.11.2022

पुनः पुलिस थाना नौगाँव पर लिखित में आवेदन देकर यह प्रार्थना की थी कि पुलिस न्यायालय के समक्ष मेरा कथन करवाये, जिससे मैं स्वयं के साथ हुई उपरोक्त जघन्य घटना की सही-सही जानकारी न्यायालय को बिना किसी दबाव अथवा प्रभाव के दे सकूँ और जिससे मुझे न्याय मिल सके।

मैं भील जाति की आदिवासी महिला हूँ और इसीलिए पुलिस उक्त ब्राह्मण महिला नेता के राजनैतिक दबाव में मेरे साथ भेदभाव कर रही है और मेरी मूल लिखित शिकायत दिनांक 02.11.2022 पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। पुलिस द्वारा मेरी शिकायत दिनांक 02.11.2022 के आधार पर महिला नेता प्रतिमा मुद्गल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 377, 354, 355, 323, 506, 509 एवं 294 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(ई), 3(1)(डब्लू)(1), 3(1)(डब्लू)(2), 3(2)(5) तथा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 2(एन) सहपठित धारा 11 के प्रावधानों के स्थान पर मात्र भा.द.वि. की जमानतीय धारा 323, 294 एवं 506 में ही पंजीकृत कर ब्राह्मण महिला नेता प्रतिमा मुद्गल को अनुचित एवं अवैध लाभ पहुँचाया है और मुझ भील आदिवासी महिला के साथ अन्याय कर मुझे प्रताड़ित किया है।

आप वरिष्ठ और ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, मेरे साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध आप निष्पक्ष कार्यवाही एवं जाँच करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। कृप्या मेरी लिखित शिकायत दिनांक 02.11.2022 पर कार्यवाही कर उचित धाराओं में मेरा प्रकरण पंजीकृत करवाएँ एवं विधि अनुसार निष्पक्ष जाँच कर योग्य कार्यवाही करने की कृपा करें।

नौगाँव, जिला धार

06.03.2023

शिकायतकर्ता,

गायत्री भूरिया पति गणेश भूरिया

निवासी : कोर्ट के पीछे, हाथीथान, धार

<u>संलग्न</u> :

<u>प्रतिलिपि</u> :

1. महामहीम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. प्रधानमंत्री कार्यालय, 7, रेसकोर्स रोड़, नई दिल्ली
3. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली
4. मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, भोपाल
5. अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
6. मध्यप्रदेश महिला आयोग, भोपाल
7. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. प्रमुख सचिव, गृह मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
9. प्रमुख सचिव, आदिवासी कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
10. पुलिस महानिदेशक, भोपाल
11. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, भोपाल
12. पुलिस महानिरीक्षक, धार
13. नगर पुलिस अधीक्षक, पुलिस थाना नौगाँव, धार
14. पुलिस थाना प्रभारी, पुलिस थाना नौगाँव, धार
15. स्थानीय समिति, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, जिला धार